

न्यायिक तंत्र के भीतर न्याय

यह एडिटोरियल 08/10/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Debate over the collegium system: How are SC and HC judges appointed?" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम प्रणाली और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

कॉलेजियम प्रणाली (Collegium system) वह विधि है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, न ही इसकी उत्पत्ति संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून से हुई है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न नरिण्यों के माध्यम से समय के साथ विकसित हुई है।

- न्यायिक नियुक्तियों में सुधार के लिये संसद ने **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** (National Judicial Appointment Commission- NJAC) का गठन किया था और 99वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम लेकर आई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग और संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए इसे नरिस्त कर दिया।
- तब से उच्च न्यायापालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की कॉलेजियम प्रणाली पर बहस चलती रही है और इसे न्यायापालिका एवं कार्यपालिका के बीच संघर्ष के साथ-साथ न्यायिक नियुक्तियों की धीमी गति के लिये दोषी ठहराया जाता रहा है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक पाँच सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व नवित्तमान **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (CJI) करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं।
 - हाई कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के नवित्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- कॉलेजियम की पसंद या चयन के बारे में सरकार आपत्तक कर सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम पुनः उन्हीं नामों की अनुशंसा करे तो सरकार उन्हें ही न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर संविधान क्या कहता है?

- संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में उपबंध करते हैं।
 - ये नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं जिसके लिये वह "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना आवश्यक समझे" की शर्त का पालन करता है।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली कैसे विकसित हुई?

- '**फर्स्ट जजज केस**' (First Judges Case, 1981): एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत नरिणय से यह माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता की अवधारणा वस्तुतः संविधान में नहिति नहीं है।
 - संविधान पीठ ने यह भी माना कि अनुच्छेद 124 और 217 में प्रयुक्त 'परामर्श' (consultation) शब्द का अनिवार्य अभिप्राय 'सहमति' (concurrence) नहीं है।
 - इसका अर्थ यह है कि यदि परामर्श नियुक्तियों के लिये इन कार्यकारियों से परामर्श करेगा, लेकिन उसका नरिणय उन सभी के साथ सहमति में होने के लिये बाध्य नहीं था।
- '**सेकंड जजज केस**' (Second Judges Case, 1993): सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) मामले में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'एसपी गुप्ता' मामले के नरिणय को पलट दिया।
 - उन्होंने उच्च न्यायापालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिये 'कॉलेजियम प्रणाली' एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रस्तुत की।

1. भारत के संवधान में 44वें संशोधन ने प्रधान मंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक अनुच्छेद पेश किया ।
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में भारत के संवधान में 99 वें संशोधन को रद्द कर दिया ।

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) दोनों 1 और 2
(D) न तो 1 और न ही 2

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/justice-inside-judiciary>

